



152

नी अदालत अंतर्गत
दिनांक 20/11/09
जुद्ध क्रमांक 20/4/09
अपील कायालय
मन्दासौर

निगरानी क्रमांक : /2009

माननीय राजस्व मण्डल, ग्वालियर फॉर्म 30/03/09

निगरानी अंतर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता

596- I/09
26
15/09

श्रीमति भेंवरबाई पुत्री स्वर्गीय किशोर गुर्जर,
उम्र अन्दाजन 51 वर्ष, धंधा - कृषि, निवासी
ग्राम भीलखेडा, तेहसील - मल्हारगढ़, जिला
मन्दासौर

निगरानीकर्ता

विरुद्ध

प्रस्तुत क्रमांक - 01
दिनांक 20-5-09
उच्च न्यायालय
प्रस्तुत
20-5-09
कीट

- 01 गंगाराम पिता स्वर्गीय किशोर जी गुर्जर,
निवासी - ग्राम भीलखेडा, तेहसील -
मल्हारगढ़, जिला - मन्दासौर
- 02 फकीरबाई पुत्री स्वर्गीय किशोर, पति श्री
रतनलाल गुर्जर, निवासी - ग्राम मालखेडा,
तेहसील - मनासा, जिला - नीमच
- 03 गटदुबाई पुत्री स्वर्गीय किशोर, पति श्री
कचरुलाल जी, निवासी - ग्राम - नलवा,
तेहसील - मनासा, जिला - नीमच

अनावेदकगण

निगरानी बनाराजी आदेश दिनांक 30.03.2009 जो अपर आयुक्त महोदय,
उज्जैन सम्माम उज्जैन के द्वारा द्वितीय अपील गंगाराम - अपीलान्ट विरुद्ध
किशोर आदि - रेस्पॉन्डेंट के प्रकरण क्रमांक 60/07-08/अपील में
रेस्पॉन्डेंट श्रीमति भेंवरबाई द्वारा प्रस्तुत आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. के
आवेदन पत्र पर पारित किया गया एवं जिसके द्वारा निगरानीकर्ता का
आवेदन पत्र निरस्त कर दिया गया ।

R 596-1109 मंदसौर
भक्तवार्ध / गंगाराय

24.11.2017

DD

आवेदक की ओर से कोई भी उपाख्यत नहीं। प्रकाम
परिच्छेद आठ वर्ष से ग्राह्यता का
सुन्वार हेतु लाभ्यते है, किंतु
आवेदक की ओर से कोई उपाख्यत
नहीं दाखल है। अतः आवेदक
के प्रकाम के निराकरण में
समय नहीं लेने के काय निरस्त
किया जाता है।

अक्षय

अक्षय